

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 836/2024
अनवान : -

1. हरी राम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
2. देव करण पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. फुसाराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
4. भंवरी पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
7. परमा पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
8. सन्दीप पुत्र चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
9. विरेन्द्रसिंह पुत्र चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
10. अनिता पुत्री चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
11. पुजा पुत्री चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
12. ममता पुत्री प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 157/163 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.8700 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता है व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का दादा


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रों व पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीगण 4 ता 7 जो की वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो की वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की मृतक बहिन चांवली के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 12 जो की वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 की बहिन है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपन पिता, भाईयो व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग रोही मोजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 157/163 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.8700 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 ब.हि.ब काबिज है तथा रोही मोजा रेखराखासर तहसील पल्लू के खाता संख्या 118/30 के कुल खसरे 3 की कुल 5.1540 है। भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।


वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1


उम्बरण्ड अधिकारी
नोहर

के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता है व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का दादा है। उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रो व पौत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीगण 4 ता 7 जो की वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो की वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की मृतक बहिन चांवली के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 12 जो की वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 की बहिन है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपन पिता, भाईयो व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग रोही मोजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 157/163 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.8700 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 ब.हि.ब काबिज है तथा रोही मोजा रेखराखासर तहसील पल्लू के खाता संख्या 118/30 के कुल खसरे 3 की कुल 5.1540 है। भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 157/163 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.8700 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 157/163 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.8700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन

21

किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को व 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा रेखराखासर तहसील पल्लू के खाता संख्या 118/30 के कुल खसरे 3 की कुल 5.1540 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 836/2024

अनवान : -

1. हरी राम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
2. देव करण पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. फुसाराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
4. भंवरी पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
7. परमा पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
8. सन्दीप पुत्र चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
9. विरेन्द्रसिंह पुत्र चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
10. अनिता पुत्री चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
11. पुजा पुत्री चांवली पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
12. ममता पुत्री प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 836 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 157/163 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.8700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को व 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा रेखराखासर तहसील पल्लू के खाता संख्या 118/30 के कुल खसरे 3 की कुल 5.1540 है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर